न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 70/2016 (2016/00141) जिला–नागौर

1. कमला देवी पत्नी हरिराम जाति माली निवासी परबतसर जिला नागौर।
2. मंगलाराम पुत्र हरिराम
3. नोरतमल पुत्र हरिरम
4. लालचन्द पुत्र हरिराम
5. मुन्नी देवी पुत्री हरिराम
6. सन्तोष देवी पुत्री हरिराम
7. जगदीश पुत्र हरिराम

   समस्त जाति माली निवासी परबतसर तहसील परबतसर जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार परबतसर।

––––प्रत्यर्थी

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर दिनांक 20–04–2016
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 51/2013

––––

उपस्थित– 1. श्री दिलीप सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 13–06–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में नक्शा दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–04–2016 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थीगण की कब्जा काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1675/1 रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा स्थित है जिसमें हाल सेटलमेंट सन् 2009 के अनुसार खसरा नम्बर 3009/2364 रकबा 2.76 हैक्टर दर्ज किये गये है तथा सेटलमेंट के नक्शे में उक्त नये खसरा नम्बर 3009/2364 का गलती से तरमीम नहीं किया गया। सेटलमेंट द्वारा अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 3009/2364 एवं खसरा नम्बर 2998/2364 को एक ही सीमा में अंकित कर दिया गया है। जिसके कारण दोनों खसरा नम्बरान की सीमाएं अलग–अलग दर्शित नहीं होने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा खसरा नम्बर 2387, 2388 एवं खसरा नम्बर 2997/2364 की नक्शा तरमीम गलत दर्ज हुई है। उक्त खसरा का नक्शा पैमाईस से मूल रकबा काफी अधिक हो जाता है तथा अपीलार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 3009/2364 के नक्शा पैमाईस से मूल रकबा कम हो जाता है तथा नक्शा तरमीम गलत स्थान पर दर्ज होने से मजबूरन मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दौराने सेटलमेंट सन् 2009 के अनुसार अपीलार्थीगण का खसरा नम्बर 2380 जो मौके पर आम रास्ता सड़क है जिसके पुराने खसरा नम्बर 1676/1 थे, को भी गलती से गैर मुमकिन नाड़ी अंकित कर दिया गया उक्त आम रास्ते के दक्षिण की तरफ 17 बीघा 01 बिस्वा अर्थात 2.76 हैक्टर भूमि पर पुश्तनी कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा चारो तरफ पुश्तैनी बाड़ व डोल है जो वक्त सेटलमेंट भी इसी स्थिति में बाढ़ व डोल लगी हुई थी इसके बावजूद भी सेटलमेंट कर्मचारियों ने मौका स्थिति को नजर अन्दाज कर नक्शा ट्रेस में अंकित नहीं कर खसरा नम्बर 2998/2364 व 3009/2364 का एक ही नक्शा सीमाओं से अंकित कर गलत दर्शाया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 1675/1 के नये खसरा नम्बर 3009/2364 की मौका स्थिति अनुसार सही तरमीम दर्ज करने हेतु तहसीलदार परबतसर को आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया गया।

उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार, परबतसर द्वारा दिनांक 10–6–2013 को प्रस्तुत जवाब में स्वीकार किया गया कि खसरा नम्बर 3009/2364 व खसरा नम्बर 2998/2364 को एक ही चक में सेटलमेट द्वारा दर्शाया गया जिन्हें अलग–अलग नक्शा ट्रेस में नहीं दर्शाने की भूल हुई एवं यह भी स्वीकार किया गया कि दोनों खसरा नम्बरान के खातों को अलग–अलग विभाजित कर दिया गया है तथा साथ ही यह स्वीकार किया गया कि अपीलार्थीगण अपने खातेदारी खसरा नम्बरान को नक्शे में अलग तरमीम कराने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजर अन्दाज कर आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 3009/2364 रकबा 2.76 हैक्टर रिकार्ड दर्ज है जबकि नक्शा लट्ठा व जमाबंदी में अन्तर है। पटवारी हलका की मौका रिपोर्ट में अपीलार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 3009/2364 का रकबा माके पर 2.76 हैक्टर के बजाय 1.85 हैक्टर होना अंकित किया है अर्थात मौके पर 1.91 हैक्टर कम होना अंकित किया है। इसी प्रकार मौके पर अपीलार्थीगण का कब्जा 3009/2364, 2435, 2999/2364 में होना बताया इसके बावजूद अपलार्थीगण के कब्जे में होना अंकित किया है। इस प्रकार अपनी पैमाईस रिपोर्ट में मौके की एवं रेकार्ड की स्थिति की भिन्नता स्वीकार करते हुए अंकित किया है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अजसरोनो सर्वे नहीं कर पुरानी सीटों को स्क्रेनिंग कर नवीन नक्शा तैयार करने में भूल हुई है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 10–6–2013 एव नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 4–10–2013 के अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेट के दौरान हुई गलती को स्वीकार करते हुए अपीलर्थीगण के प्रार्थना पत्र की पुष्टि की है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–4–2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया गया अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अपीलार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 1675/1 रकबा 17.01 बीघा हाल खसरा नम्बर 3009/2364 रकबा 2.76 हैक्टर आया हुआ है। वर्तमान में भू–प्रबन्ध विभगा द्वारा जारी नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 2998/2364 एवं 3009/2364 दोनों नक्बरों को एक ही चक में दर्शाया गया है जो सही है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी नक्शा ट्रेसों में खेत की स्थिति यथास्थान पर ही गत नक्शे में अनुसार ही दर्शित है। अपीलार्थीगण द्वारा पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है यदि राजस्व मानचित्र/नक्शा ट्रेस में किसी भी प्रकार का संशोधन या दुरूस्ती की जाती है तो उक्त पड़ौसी खातेदारान के हित प्रभावित होना स्वाभाविक है जिसमें मौके पर गंभीर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धारा–136 के तहत प्रथम दृष्टया लिपिकीय टंकण त्रुटि को पक्षकारों की सहमति से स्वीकृति के आधार पर ही अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–2016 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि दौराने सेटलमेंट भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा जारी नवीन नक्शा में भी अपीलार्थीगण के वर्तमान खसरा नम्बर 3009/2364 रकबा 2.76 हैक्टर का अलग से तरमीम नहीं किया गया है तथा खसरा नम्बर 2998/2364 क साथ संयुक्त रूप से रखा गया है जबकि मौके पर अपीलार्थीगण अलग से अपनी भूमि पर काबिज है तथा सीवें माठें कायम है। अपीलार्थीगण द्वारा भूमि का नक्शा

ट्रेस में गलत जगह तरमीम करने के कारण उक्त खसरा नम्बर का रकबा अधिक हो गया तथा अपीलार्थीगण के खसरा नम्बर की भूमि का पैमाईश से कम होने का कथन किया है। तहसीलदार, परबतसर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि अपीलार्थीगण के खसरे का रकबा गत नक्शा एवं वर्तमान नक्शा में अपीलार्थीगण के खेत की स्थिति यथास्थान पर ही दर्शाई गई है। अपीलार्थीगण अपने खसरा नम्बर की भूमि का तरमीम कराना चाहता है जिससे पड़ौसी खातेदारान की भूमि की स्थिति प्रभावित होती है। अपीलार्थीगण ने पड़ौसी खातेदारान को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है ऐसी स्थिति में धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलार्थीगणको कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण की खातेदारी का रकबा भू–प्रबन्ध विभाग की एन्ट्री से पूर्व क्या था तथा बाद में क्या अंकन किया गया इसकी राजस्व अभिलेख से पूर्ण जांच तहसीलदार द्वारा करवाई जानी अपेक्षित है। अपीलार्थीगण द्वारा नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जबकि उक्त धारा 136 के अन्तर्गत एक सीमित क्षैत्राधिकार सक्षम अधिकारी को दिये गये है जिसके अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में हुई लिपीकीय त्रुटि जो कि दोनों पक्ष की सहमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्त करवाई जा सकती है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–4–2016 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–4–2016 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 51/2013 बउनवान हरिराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल महेरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर